डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान विजयसिंह बनाम कलुआराम वगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 176/2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दळ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है . डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा 4524/0.34, 4550/0.33,4853/0.19 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.86 हैक्ट0 समस्त आराजी खसरा नंबर 5122/4927/0.55, 4898/0.17, 4899/0.19 रकबा 0.91 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा, आराजी खसरा नंबर 4694/0.02, 4695/0.03, 4698/0.04, 4702/0.03, 4703/0.01, 4704/0.01, 4715/0.13, 4729/0.18, 4743/0.15, 4744/0.19, 4747/0.21, 4764/0.25, 4766/0.19, 4771/0.47, 4774/0.13, 4776/0.29, 4777/0.15, 4778/0.15, 4781/0.10, 4782/0.11, 4783/0.21 किता 22 क्षेत्रफल 3.18 के 1/8 हिस्से वाके ग्राम कबई तहसील नदबई पर स्थित है, पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25.11.2024 को जारी की गई ।

दस्तखत—— 25/11/24

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

1. विजय सिंह पुत्र कलुआराम जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. कलुआ पुत्र वीधाराम जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गजराज उर्फ भोली पुत्र कलुआ जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।
5. बीना पुत्री कलुआ पत्नी प्रताप जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर। हाल निवासी जीवद तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. गुड्डी देवी पुत्री कलुआ पत्नी कुंवरपाल जाति जाटव निवासी कबई हाल निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. गीता पुत्री कलुआ पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी कबई हाल भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. लता पुत्री कलुआ पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी कबई हाल पथरेरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

25/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 176/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00008
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25.11.2024

1. विजय सिंह पुत्र कलुआराम जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर। — वादीगण

बनाम

1. कलुआ पुत्र वीधाराम जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गजराज उर्फ भोली पुत्र कलुआ जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।
5. बीना पुत्री कलुआ पत्नी प्रताप जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर। हाल निवासी जीवद तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. गुड्डी देवी पुत्री कलुआ पत्नी कुंवरपाल जाति जाटव निवासी कबई हाल निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. गीता पुत्री कलुआ पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी कबई हाल भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. लता पुत्री कलुआ पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी कबई हाल पपरेरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित श्री फूलसिंह एड.(वादी की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.[illegible]

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजी खसरा नंबर 45[illegible]0.34, 4550/0.33,4853/0.19 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.86 हैक्टर

25/11/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

समस्त आराजी खसरा नंबर 5122/4927/0.55, 4898/0.17, 4899/0.19 रकबा 0.91 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा, आराजी खसरा नंबर 4694/0.02, 4695/0.03, 4698/0.04, 4702/0.03, 4703/0.01, 4704/[illegible], 4715/0.13, 4729/0.18, 4743/0.15, 4744/0.19, 4747/0.21, 4764/0.25, 4766/0.19, 4771/0.47, 4774/0.13, 4776/0.29, 4777/0.15, 4778/0.15, 4781/0.10, 4782/0.11, 4783/0.21 किता 22 क्षेत्रफल 3.18 के 1/8 हिस्से वाके ग्राम कबई तहसील नदबई से सम्भाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज है।

2. यह है कि आराजी वादपत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जो उन्हें हिस्सानुसार विरासत में स्व0 वीधा से प्राप्त हुई है। वादी के उपरान्त संयुक्त परिवार का प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता प्रबंधक रहा है। इसलिए उसके नाम समस्त हिस्सा आराजी पर खातेदार की प्रविष्टियां हो रही हैं जो उनके हिस्सा 1/3 से अधिक पर गलत है, निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सम्भाग प्रत्येक यह भागीदार है और आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादीगण की नीयत खराब हो रही है प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने वश में किया हुआ है इसी वजह से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजी से वादी के हिस्से 1/3 के होने से इंकार कर रहे हैं तथा समस्त आराजी नाजायज रूप से हडपना चाहते हैं तथा वादी ने प्रतिवादीगण से उनके हिस्से की आराजी उसके नाम कराने से इंकार किया गया है तथा धमकी भी दी गई है अतः वादी को विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कराना जरूरी हुआ है।

4. अतः दावा वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुसार इस प्र[illegible] कि जावे विवादित आराजी में हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] सम्भाग प्रत्येक के खातेदार कृषक काबिज है। इन्द्राज खातेदारी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत है, निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24
सहायक कलक्टर

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ तामील बावजूद उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किए जाने हेतु बार बार अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा इनका जबाव दावा दिनांक 14.10.2020 को बंद किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2066–69 वाके ग्राम कबई द्वितीय, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल जमाबंदी संवत 2043 से 46 पेश की गई एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी विजयसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 पेश किया गया है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम कबई द्वितीय पर स्थित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार उक्त विवादित आराजीयात पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता वीधाराम के नाम आराजीयात दर्ज रही है तथा उसके उपरान्त विरासत के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 कलुआ पुत्र वीधाराम के नाम आराजी आई हैं इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति है जो उन्हें हिस्सानुसार विरासत के रूप में स्व0 वीधाराम से प्राप्त है। परन्तु वर्तमान में उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम समस्त हिस्सा दर्ज रहा है जो उनका हिस्से से अधिक गलत रूप में दर्ज है जबकि पैतृक आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का भी विवादित आराजीयात में अपना हिस्सा निहित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत बयान में भी साबित है कि वादीगण का अपना हिस्सा अनुसार काबिज काश्त भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24
सहायक कलक्टर

5. अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा 4524/0.34, 4550/0.33,4853/0.19 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.86 हैक्ट0 समस्त आराजी खसरा नंबर 5122/4927/0.55, 4898/0.17, 4899/0.19 रकबा 0.91 हैक्ट0 के 1/2 हिस्सा, आराजी खसरा नबर 4694/0.02, 4695/0.03, 4698/0.04, 4702/0.03, 4703/0.01, 4704/0.01, 4715/0.13, 4729/0.18, 4743/0.15, 4744/0.19, 4747/0.21, 4764/0.25, 4766/0.19, 4771/0.47, 4774/0.13, 4776/0.29, 4777/0.15, 4778/0.15, 4781/0.10, 4782/0.11, 4783/0.21 किता 22 क्षेत्रफल 3.18 के 1/8 हिस्से वाके ग्राम कबई तहसील नदबई पर स्थित है, पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

25/11/24
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested